पॉलिसी: साप्ताहिक ट्रेनिंग

पॉलिसी संख्या – 31

जारी होने की तारीख – 12/10/2020

किस पर लागू है – कम्पनी के सभी कर्मचारियों पर

पॉलिसी में पेज़ों की कुल संख्या – 1

एच-आर विभाग द्वारा नियमित अंतराल पर सभी स्टाफ के लिए ट्रेनिंग आयोजित कराई जाएँगी। एच-आर प्रमुख सभी प्रशिक्षणों का नेतृत्व करेंगे। कोई अन्य विभाग प्रमुख भी अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण दे सकता है। प्रशिक्षण का समय एक बार में 2 घंटे से अधिक नहीं होगा। प्रत्येक सप्ताह सभी विभाग प्रमुख अपने जूनियर्स में से 1-2 कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए चुनेंगे। विभाग प्रमुखों द्वारा चुने गये कर्मचारियों की संख्या स्वयं सहित 2 से अधिक नहीं होगी।

निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा।

1. कम्पनी में आचार एवं व्यवहार
2. टीम बिल्डिंग
3. टाइम मैनेजमेंट (समय का प्रबंधन)
4. लीडरशिप (नेतृत्व कुशलता)
5. सरकार द्वारा कम्पनी पर लागू नियम और कानून
6. सुव्यवस्था एवं सुनियोजितशीलता
7. उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार
8. स्वच्छता प्रक्रियाएं
9. मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन
10. सेल्स
11. विवादों का समाधान
12. मानव व्यवहार के विभिन्न स्तर
13. अग्नि सुरक्षा प्रक्रिया
14. प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रिया

कोई अन्य प्रेरक ट्रेनिंग, जो कर्मचारियों और कम्पनी की मदद करे।

बाह्य संस्था / ट्रेनर्स द्वारा ट्रैनिंग के लिए मैनेजमेंट की मंजूरी अनिवार्य होगी।

ok Approved

एच-आर प्रमुख द्वारा लिखित

HR and Management Approved

ok Approved

मैनेजमेंट द्वारा स्वीकृत